HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - बाबूगढ़ **दिनांक 14.03.2025**

“थाना बाबूगढ़ पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही कर विनोद पाल हत्याकांड का किया खुलासा”

- **थाना बाबूगढ़ पुलिस व जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत 02 दिन पूर्व अभय इलेक्ट्रॉनिक गोदाम पर घटित विनोद पाल की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को किया गिरफ्तार।**
- **जिसकी निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू, मृतक का जला हुआ मोबाइल फोन, अभियुक्त के जले हुए रक्तरंजित कपड़े व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वीकार किया कि मृतक विनोद पाल द्वारा अभियुक्त को गोदाम पर काम करने के बहाने बुलाकर उसके साथ कुकर्म किया जाता था जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त ने की थी विनोद पाल की गला रेतकर हत्या।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11/12.03.2026 की रात्रि में थाना बाबूगढ क्षेत्रांतर्गत बछलौता रोड़ स्थित अभय इलेक्ट्रोनिक्स गोदाम पर विनोद पाल का शव मिला था, जिनकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई थी, उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी/अनावरण करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाहीः-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना धौलाना पुलिस व जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए थाना बाबूगढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2026 धारा 103(1), 238 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू, मृतक का जला हुआ मोबाइल फोन, अभियुक्त के जले हुए रक्तरंजित कपड़े व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रितिक कुमार पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम छपकौली थाना बाबूगढ जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरणः-

1. आलाकत्ल चाकू।
2. मृतक का जला हुआ मोबाइल फोन, अभियुक्त के जले हुए रक्तरंजित कपड़े।
3. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्लस रजि0 नं0 यू0पी0 37 जैड 5281।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त को संदेह के आधार पर पूछताछ हेतु थाना लाया गया जिसके द्वारा पूछताछ करने पर स्वीकार किया गया है कि मृतक विनोद पाल ने 9000/- रुपये प्रतिमाह पर मुझे अपने यहां काम पर रखा था। परन्तु विनोद पाल मुझे खाना खिलाने व दारू पिलाने के लालच में दुकान पर रात में बुलाता था और मुझे शराब पिलाकर मेरे साथ नशे में गलत काम करता था। जिसका मेरे द्वारा विरोध किया गया तो वह मुझे धमकी देने लगा। दिनांक 11.03.2026 को भी विनोद पाल द्वारा मुझे रात्रि में अपनी दुकान पर बुलाया और शराब पिलाकर मेरे साथ गलत काम किया जिससे में काफी क्षुब्ध हो गया और मेरे द्वारा बैग से चाकू निकालकर विनोद पाल की गर्दन पर 3-4 वार कर गर्दन रेतकर उसकी हत्या कर दी थी तथा उसके बाद मैनें साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से मृतक का मोबाइल फोन व अपने खून से सने कपडो को जला दिया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना बाबूगढ टीम	*जनपदीय स्वाट टीम*
1. प्रभारी निरीक्षक श्री मुनीष प्रताप सिंह थाना बाबूगढ जनपद हापुड़। 2. उ0नि0 श्री **वीरेश** कुमार 3. उ0नि0 श्री सूर्यपाल सिंह 4. है0का0 496 नितिन कुमार 5. है0का0 624 अंकित राठी 6. का0 951 रविन्द्र सिंह 7. है0का0 अनुज मलिक सर्विलांस सैल जनपद हापुड।	1. उ0नि0 श्री पारस मलिक प्रभारी स्वाट टीम जनपद हापुड। 2. उ0नि0 जितिन शर्मा 3. उ0नि0 नसीम खान 4. है0का0 627 परवली तोमर 5. है0का0 714 रविन्द्र कुमार 6. है0का0 644 विनीत धामा 7. है0का0 815 राहुल कुमार 8. है0का0 706 कुलदीप सिंह 9. है0का0 580 राजेन्द्र कुमार 10. है0का0 932 नीरज कुमार 11. है0का0 839 संजीव कुमार 12. है0का0 472 सोनू 13. है0का0 816 नीरज त्यागी 14. है0का0 116 राजीव मलिक 15. है0का0 600 निर्दोष